न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील 87/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
आम जनता ग्राम ऊजला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर जरियेः– 1. भंवरदान पुत्र रावतसिंह चारण 2. भूराराम पुत्र गोविन्ददान चारण 3. पदम प्रकाश पुत्र सुमेरदान चारण 4. बिन्जाराम पुत्र चूनाराम नाई 5. अनिल उर्फ बंशीलाल पुत्र हडूदान चारण 6. गिरधरदान पुत्र बेददान चारण 7. रणजीतदान पुत्र लक्ष्मण सिंह रावणा राजपूत 8. नारायणराम पुत्र लालूराम सुथार 9. तेजाराम पुत्र मानाराम सुथार 10. आईदान पुत्र मनीराम गर्ग 11. किसनाराम पुत्र रेवाराम मेघवाल निवासी–ग्राम ऊजला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		1. ग्राम पंचायत ग्राम ऊजला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। 2. मदरसा महमूदिया तजवीदुल कुरआन संस्था, ग्राम ऊजला तहसील पोकरण जरिये अध्यक्ष कारी मोहम्मद अमीन 3. राजस्थान राज्य जरिये 1. जिला कलेक्टर जैसलमेर। 2. तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा आदेश कमांक राजस्व/2007/8951 दिनांक 01.11.2007 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 02 संस्था को ग्राम ऊजला के ख0सं0 39 गैर मुमकीन गोचर में से 03 बीघा एवं ख0सं0 57 गैर मुमकीन गोचर में से 02 बीघा कुल 05.00 बीघा भूमि के किये गये आवंटन को तथा रेस्पो0 संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 05.04.2008 को निष्पादित किये गये पटटा विलेख को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश बूब, श्री भरतबूब, अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नन्द किशोर चाण्डक, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या एक बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 07 अप्रेल, 2025

अपीलान्ट्स के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व/2007/8951 दिनांक 01.11.2007 के द्वारा ग्राम ऊजला में रेस्पो0 संख्या 02 संस्था को

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मदरसा भवन एवं खेल मैदान की स्थापना हेतु भूमि का आंवटन किया गया, के विरूद्ध दिनांक 16.11.2017 को न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ऊजला तहसील पोकरण के खसरा संख्या 39 रकबा 66.10 बीघा, खसरा संख्या 47 रकबा 12.08 बीघा, खसरा संख्या 57 रकबा 179.01 बीघा, खसरा संख्या 67 रकबा 90.05 बीघा, खसरा संख्या 91 रकबा 63.12 बीघा कुल 411.05 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व से आज दिन तक चली आ रही है जिसकी खतौनी बन्दोबस्त व जमाबन्दी की नकल संलग्न पेश है। उपरोक्त भूमि में से ख0सं. 39 रकबा 66.10 बीघा गैर मुमकिन गोचर में से 03 बीघा और खसरा संख्या 57 रकबा 179.05 बीघा गेर मुमकिन गोचर में से 02 बीघा कुल 05.00 बीघा भूमि रेस्पो0 संख्या 02 को मदरसा भवन निर्माण एवं खेल मैदान हेतु दिनांक 01.11.2007 को जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा आवंटित की गई है। उक्त भूमि में आम जनता ऊजला का हित निहित है और उपरोक्त गोचर भूमि आम जनता ऊजला के मवेशियों के लिये उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। जिला कलेक्टर, जैसलमेर के उक्त आदेश दिनांक 01.11.2007 से असंतुष्ट होकर यह अपील अपीलान्ट्स की ओर से न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील पेश करने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र एवं मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों दिनांक 16.11.2017 में अंकित तथ्यों के अनुसार यह अभिकथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व से आज दिन तक गैर मुमकिन गोचर चली आ रही है एवं मवेशियों के लिये उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। उपरोक्त आवंटनशुदा गोचर भूमि गोचर होने के नाते इसमें आम जनता ऊजला के निवासयिों का हित निहित है। उक्त प्रकार की गोचर भूमि का न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही गोचर भूमि में हक व अधिकार प्रदान किये जा सकते है, न ही ऐसी गोचर भूमि निजी संस्थान व धर्म विशेष को आवंटन की जा सकती है। ऐसे में आवंटन आदेश से आम जनता ऊजला का हित प्रभावित हुआ है, इसलिये अपीलान्ट आम जनता के हित में अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है, अतः अपीलान्टस को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अपील पेश करने में हुए उक्त अवधि के विलम्ब को क्षमा करने हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या 2 ने पटवारी हल्का एवं राजस्व अधिकारियों से मिलावट करके उक्त वादग्रस्त भूमि के गोचर भूमि होने के तथ्यों को छिपाकर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जिला कलेक्टर जैसलमेर को धोखे में रख कर मिथ्या कथन करके नियम विरूद्ध आवंटन करवा लिया, जबकि उक्त खसरा भूमि कभी आवंटन करने करने के काबिल नहीं रही और न ही भूमि में भवन निर्माण किया जा सकता है। उक्त भूमि आम जनता के मवेशी चराने के सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। उपरोक्त आवंटन आदेश में अपीलान्टस पक्षकार नहीं है और न ही आवंटन करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। इस हेतु कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई जिसके कारण उन्हें उक्त आवंटन का तत्समय में ज्ञान नहीं हो सका। कुछ समय पूर्व रेस्पो0 संख्या 02 के प्रतिनिधियों ने 05 बीघा भूमि अपने नाम आवंटन होना बताया तथा भूमि पर मवेशी चराने का मना किया। तब अपीलान्ट्स ने पटवारी हल्का से पूछा तब पटवारी हल्का ने दिनांक 3.10.2017 को रेस्पो0 संख्या 02 को उक्त आवंटन आदेश होना अवगत कराया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने पर दिनांक 4.10.2017 को आवंटन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 12.10.2017 को नकलें प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलान्टस को उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी होने की दिनांक से अपील हेतु निर्धारित मियाद अवधि यानि 60 दिवस की अवधि के अन्दर पेश की जा रही है, जिसे अन्दर मियाद शुमार की जावें।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि को राज0 भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों तथा सार्वजनिक प्रयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत न तो आवंटन की जा सकती थी और न ही आवंटन से हक व अधिकार किसी को प्रदान किये जा सकते थे। ऐसा आवंटन धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत है। रेस्पो0 संख्या 03 जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने उक्त नियमों व प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि पर मवेशीयो के पानी पीने हेतु गंवाई नाडी भी बनी हुई है और मवेशी उसमें बसेरा भी करते है। ऐसा भूमि आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य होने से काबिल निरस्त के है। रेस्पो0 संख्या 2 के संस्थान के भवन व खेल मैदान निर्माण हेतु पहले से ही भूमि उपलब्ध है जिसमें राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय ऊजला, खेल मैदान और अन्य भवन ग्राम ऊजला के ख0सं0 39, 57 में बने हुए है। ये सभी भवन सार्वजनिक रूप से काम आ रहे है। रेस्पो0 संख्या 3 ने निजी संस्थान रेस्पो0 संख्या 2 को

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्धेश्य से नियम विरूद्ध आवंटन किया है। इसके अलावा उपरोक्त आवंटन की गई भूमि 05 बीघा भूमि के बदले में अन्य सरकारी भूमि में से 05 बीघा भूमि गैर मुमकिन गोचर हेतु आवंटन नहीं की गई। नियमानुसार गोचर भूमि का आवंटन किया जाता है तो उसके बदले में गोचर की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य भूमि दी जाती है। रेस्पो0 संख्या 2 को उक्त भूमि निजी शिक्षण संस्थान को भवन निर्माण हेतु आवंटन करना बताया है परन्तु वहॉ पर उपरोक्त भवन निर्माण नहीं किया जाकर कब्रिस्तान बनाया जा रहा है और उसके साथ मस्जिद बनाई गई है, जो कि आवंटन नियमों के विरूद्ध बनाई गई है। इस आधार पर भी उपरोक्त आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आवंटनशुदा भूमि पर हिन्दू धर्म के धार्मिक देवता बबूता सिद्ध का छोटा सा मंदिर अर्थात् चौतरडा या चबूतरा कई पीढियों से बना हुआ है जिसकी पूजा हिन्दू समुदाय पीढियों से करते आ रहे है किन्तु रेस्पो0 संख्या 2 के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करके हिन्दू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचायी गई है और उपरोक्त भूमि अब अपने नाम से आवंटन करवा ली है, जो कि आवंटन निरस्त योग्य है। रेस्पो0 संख्या 2 को उपरोक्त भूमि आवंटन माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा 2004(3) डीएनजे (राज.–डी0बी0) 1245 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में डबल बैंच द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध पारित किया गया है। राज्य सरकार ने भी ऐसे आवंटन को निरस्त करवाने हेतु कई रेफरेन्स किये है जो कि विचाराधीन है, ऐसे में यह आवंटन आदेश भी निरस्त योग्य है। ऐसे आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु आम जनता ऊजला तहसील पोकरण ने एक ज्ञापन उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करते हुए रेस्पो0 संख्या 3(1) जिला कलेक्टर जैसलमेर को दिया था, जिसकी नकल अपील के साथ में पेश है। ग्राम पंचायत ऊजला ने दिनांक 2.10.2017 को एक प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त आवंटन निरस्त करने एवं उस पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु रेस्पो0 संख्या 3(2) तहसीलदार पोकरण को भी पत्र लिखा था परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब अपीलान्टस के द्वारा यह अपील पेश करने की कार्यवाही की गई है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त विवादित भूमि इतने दिनों तक राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन गोचर के रूप में दर्ज होती आ रही थी और बल्कि कुछ ही समय पूर्व रेस्पो0 संख्या 2 के प्रतिनिधियों ने उक्त भूमि में से 05 बीघा भूमि अपने नाम आवंटन करना बताया और ग्रामीणों को मवेशी चराने के लिये मना किया गया। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाने का अधिकार ग्रामीणों को है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 01.11.2007 एवं उक्त क्रम में जारी पटटा विलेख दिनांक 5.4.2008 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें और वादग्रस्त भूमि से रेस्पो0 संख्या 2 का कब्जा हटाये जाने का आदेश दिया जावें। साथ ही आवंटनशुदा भूमि को पुनः गैर मुमकिन गोचर दर्ज करने का आदेश दिया जावें। अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में अपील में उल्लेखित दस्तावेजात की छायाप्रतियॉ अवलोकनार्थ पेश की गई जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

प्रत्युत्तर में रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट्स के द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र, अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब तथा अपील को निरस्त किये जाने हेतु जबाब एवं लिखित बहस मय दस्तावेजात की सूची पेश की गई।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्रों में अपीलान्ट की ओर से पेश किये गये उक्त दोनों प्रार्थनों पत्रों को खारिज किये जाने का कथन किया गया एवं अपील पेश करने की अनुमति नहीं दिये जाने एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपील पेश करने बाबत पेश अनुमति प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2017 एवं मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2017 पर उभय पक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तुत लिखित जवाब के अवलोकन करने के उपरान्त न्यायहित में अपीलान्ट्स को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई लिखित बहस के अनुसार यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 12.4.2021 को अवमानना याचिका संख्या 01/2021 भंवरदान बनाम आशीष मोदी में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा PIL DBCW No. 5190/2021 निर्णय दिनांक 8.4.2021 का कमलसिंह बनाम सरकार का आदेश पेश किया है। इस आदेश के अनुसार In this background, the petitioners are directed to approach PLPC, Jaisalmer by filing representiation for ventilating their grievances. The petitioners shall disclose the name identity of the encroacher to the PLPC. The PLPC shall objectively consider the land of Khasra No. 39[47[57 ad measuring 220 Bigha, 9 Biswa of Village Ujala, Tehsil Pokaran and if found correct, direct

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

appropriate action within a period of three months from the date of submission of the representation. Accordingly, the writ petition stands disposed of.

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि इस प्रकार एक ही विषय वस्तु व एक ही बिन्दु पर दो अलग–अलग फोरम में सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पीएलपीसी जैसलमेर में सुनवाई होनी है एवं माननीयउच्च न्यायालय के आदेश की पालना में सुनवाई के मध्यनजर इस अपील को खारिज कर देना चाहिये। इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 2 को स्कूल व खेल मैदान के सम्बन्ध में भूमि आवंटन शासन उप सचिव के आदेश दिनांक 11.07.2007 के द्वारा किया गया है। इस आदेश को अपीलार्थी ने कही पर चुनौती नहीं दी है एवं शासन उप सचिव के आदेश की पालना में कमोतर कोई आदेश पारित किया भी जाता है तो उसे सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। जिला कलेक्टर जैसलमेर को रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में भू आवंटन का आदेश कमांक प.2(327) राज/ग्रुप–3/07 दिनांक 11.7.2007 राज0 सरकार के राजस्व (ग्रुप–3) विभाग द्वारा जारी किया गया है तथा रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में पंजीबद्ध लीज डीड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय पोकरण द्वारा दिनांक 13.05.2008 को किया गया है। रेस्पो0 संख्या 2 की भू सम्पदा राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा पंजीयन संख्या 1661 दिनांक 27.12.2004 को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार वक्फ सम्पदा हो जाने से धारा 85 वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार इस प्रकार के मामलों की सुनवाई केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में जारी पंजीकृत लीज डीड को निरस्त करने की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय में दावा पेश करके ही किया जा सकता है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि का पंजीयन हो जाने से उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रहकर आवासीय व वाणिज्यिक भूमि हो जाने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्रदत्त नहीं है।

रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी उल्लेखित किया कि राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 19.09.2019 के अनुसार वादग्रस्त गोचर भूमि का आवंटन सार्वजनिक उपयोग हेतु कुछ प्रावधानों के साथ किया जा सकता है। धारा 92 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को चारागाह/गोचर सहित अन्य भूमि को लोक प्रयोजन हेतु उपयोग परिवर्तन करने का आदेश देने का अधिकार है, जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उचित है।

रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी उल्लेखित किया कि अपीलान्ट की अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.11.2007 व पट्टा विलेख दिनांक 5.4.2008 को निरस्त करवाने

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हेतु पेश की गई है जो कि लगभग 09 वर्षो की लम्बी अवधि उपरान्त देरी से पेश की गई है। अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में संतोषजनक व स्वीकार करने लायक कोई भी आधार नहीं बताये गये है जबकि अपीलार्थीगण वादग्रस्त सम्पदा के ग्राम ऊजला के ही स्थाई निवासी है और वादग्रस्त भूमि पर स्कूल व खेल मैदान, जो वर्ष 2002 से आज तक निर्मित होने के आधार पर यानि दिनांक 1.11.2007 के पूर्व से सभी प्रार्थीगणों को व्यक्तिगत जानकारी में है। जिला कलेक्टर जैलसमेर के द्वारा अपीलाधीन आदेश अचानक नहीं देकर लम्बी एवं विधिक प्रकिया अपना कर दस्तावेजी प्रकिया के पूर्ण होने के बाद पारित किया गया है। वादग्रस्त दस्तावेज लीज डीड पंजीबद्ध है जो राज0 सरकार की विधि– राज0 भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निमाणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम, 1963 के तहत सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर उचित प्रतिफल प्राप्त कर किया गया है। रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा वर्ष 2007–2008 में निर्माण करवाना शुरू कर दिया गया था, जो अब तक स्कूल के विकास के साथ–साथ आवश्यकतानुसार पूरा होता रहा है। इससे पूर्व ही दिनांक 31.10.2003 को उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा जिला कलेक्टर जैसलमेर को पत्र लिखा जाकर बताया गया था कि ग्राम ऊजला के ख0सं0 39 व 57 के आवंटन प्रस्ताव का मौका देखा गया जिसमें मौके पर एक हॉल, टांका, चौक, दो कक्षाये, शौचालय बना हुआ है। उक्त पत्र में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20.07.1963 के अनुसार मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद और धार्मिक स्थान के लिये 0.5 एकड़ भूमि आवंटन किये जाने का उल्लेख है। इस आधार पर अपीलान्टस् की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी उल्लेखित किया कि सरपंच, ग्राम पंचायत ऊजला, पुलिस अधीक्षक, जैसलममेर, बी0एस0एफ0, वन विभाग के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में सहमति/अनापत्ति दर्ज करवाई है। ऐसे में अपीलार्थीगण को उक्त अनापत्ति/सहमति को शून्य घोषित कराये बिना उन्हे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर विभिन्न चरणों में एवं समय–समय पर सरकारी व जनउपयोगी मद तथा जनप्रतिनिधियों के फण्ड से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से भवन एवं अन्य निर्माण कार्य हुआ है। इस गोचर भूमि में रेस्पो0 संख्या 2 की जानकारी के अनुसार वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व लगभग 05 बार अन्य प्रकार से सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का आवंटन किया जा चुका है। भूमि की मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गोचर भूमि के रिजर्व रखने की आवश्यकता के नोर्म्स से ज्यादा भूमि गोचर हेतु उपलब्ध है, जिस पर जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा शासन

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उप सचिव को पत्र लिखा गया था और रेस्पो0 संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की अनुशंसा की गई थी। उक्त भूमि गोचर अवश्य रही परन्तु वह वास्तविक भौतिक व उपयोगिता के आधार पर ग्राम ऊजला में आबादी क्षेत्र में है।

रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी उल्लेखित किया कि अपीलार्थी सभी 11 व्यक्तियों ने आमजन व खुद के नाम से संयुक्त रूप से एक अपील किस प्रावधान व किस आधार पर व क्यों पेश की गई, इसका न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई अधिकारिता बताई गई है। अपील में किसी अपीलान्ट ने अपना व्यक्तिगत हित नहीं बताया है और किसका हित प्रभावित हो रहा है, यह भी नहीं बताया है। उक्त वादकरण आज से 20 वर्ष पुराना है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपील पेश की अधिकारिता वादकरण कैसे उत्पन्न हुआ है, यह भी नहीं बताया है। साथ ही वादग्रस्त भूमि का प्रकार पंजीबद्ध होने के बाद बदल जाता है तो धारा 75 के तहत यह अपील पोषणीय नहीं रही है। अपीलार्थी का अनुतोष जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 1.11.2007 से सम्बन्धित है जो कि उपशासन सचिव के आदेश दिनांक 11.7.2007 की पालना में जारी किया गया है, वो आज तक कायम है। किसी भी अपीलार्थी के पक्ष में मदरसे वाली 05 बीघा जमीन का स्वामित्व अधिकार नहीं होने से कब्जे के विषय पर किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त गोचर भूमि में से भूमि आवंटन के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति भूमि के लिये राज्य सरकार उत्तरदायी है न कि रेस्पो0 संख्या 03 उत्तरदायी है। रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में भूमि का आवंटन खेल मैदान व शिक्षण संस्थान हेतु वर्ष 2007 में किया जाकर तुरन्त वांछित निर्माण व आकार का कार्य कर दिया गया था और पिछले 14 वर्षो से भी ज्यादा समय से यह भूमि खेती की न होकर आबादी क्षेत्र की भूमि हो गई है व क्षेत्र के चारो ओर वर्तमान में पंचायत भवन, ग्राम की आबादी के रहवासीय मकान व अन्य परिसर इत्यादि का निर्माण हो जाने से अपील के विवाद का निर्णय सिविल न्यायालय ही कर सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व विधि के प्रावधानों, समस्त अभिवचनों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक व्यवस्था को इस अपील की विषयवस्तु की सुसंगता एवं सभी अपीलार्थीगणों के विधिक अधिकारो की गहनता से जॉच के बाद यह निष्कार्ष निकलता है कि यह अपील पूर्णतया सारहीन व अवांछनीय अनावश्यक तथ्यों पर आधारित होने एवं विधि के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथाः–2017 AIR(SC) 2155 Wakf Board vs Devki Nandan, 2019 AIR(SC) 1423

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Estate Officer vs Gopi Chand, 2018 DNJ (SC) 1175 Mohd. Sahid vs Raziya Khanam, 2020 (3) DNJ (Raj) 633 Prithvi singh vs State, 2012 (2) DNJ 781 (D.B.) State of Rajasthan vs Pooran Chandra, 2010 (4) CDR 2453 (Raj.) (DB) State of Raj. Vs Dr. Mithlesh, 2011 (2) DNJ 903 (D.B.) State of Rajasthan vs Bhanwar lal jalantra, 1999 (1) WLC 486 (D.B.) Collector vs Darshan singh, 1995 DNJ (Raj.)592 (D.B.) Patram vs State of Rajasthan, 2018 (4) DNJ (Raj.) State of Rajasthan vs Man singh, 2007 (1) WLC 638 Kayum Khan vs Add. Divi. Commissioner, 2017 (3) WLN 283 LR's Anna Ram vs State of Rajasthan, 2015 (1) RRT 232 Bhanupratap singh vs Smt. Ghanshyam Kumari, 2014 (1) DNJ 405 LR's of Shri Tahal Singh vs LR's of Shri Jagga Singh, 2014 (3) WLN 396 Bardri Parsad vs State, 2017 APEX Court J 0188 Satya Pal Anand vs State of M.P., 2018 (2) DNJ 385 Gulam Jalanee vs Director of Local Self Government, 2016 AIR (Raj.) 95 Ram Chandra vs Disrict Collector, 2009 (1) WLC (Raj.) 332 M/s Anukampa Avas Vikas Vs State of Raj., 2018 (1) Civil Court Cases 0232 (Mad) S. Palanisamy vs The Sub-registar, 2009 (sup) AIR (SC) 1550 Vimal Chand vs Ramakant, 2009 (Sup) AIR (SC) 1218 Ranganyakamma vs K.S.Prakash, 2006 (5) SCC 353 Pram Singh vs Birbal, AIR 2020(SC) 3688 M/s Edelweiss Vs R.Perumalswamy, 2003 AIR (SWC) 1494 Banarsi vs Ram Phal, 2016 (4) WLN 249 Anil Kumar vs Deep Chand, 2013 (1) DNJ 278 Rajasthan Housing Board Vs Anna Ram, 2008 (2) DNJ 735 Abdul Latif vs State, 2014 (4) Civil Court Cases 0624 M.C. vs Puran Singh, 2007 AIR (SWC) 2481 Suraj Bhan vs Financial Com., 2003 (2) DNJ (SC) 346 Mahila Bajrangi Vs Badri lal, 2003 (3) DNJ 1143 (Raj.) Jethu Singh vs Bhanwar Singh, 2019 (3) DNJ 1972 Prem Singh Vs State of Rajasthan, 2015 AIR (Raj.) 40 Shyam Singh Vs Bhanu Prakash Sexena, 2014 (1) WLN 195 Tota Ram vs Deep Chand, 1995 (1) RLW 117 State of Rajasthan vs Padmavati Devi एवं अन्य यथा सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ इत्यादि पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 संस्था को अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2007 के द्वारा ग्राम ऊजला में उपलब्ध गैर मुमकिन गोचर भूमि में से 05.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है वो विधि एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के कम में पारित किया गया है तथा रेस्पो0 संख्या 02 के पक्ष में उसकी निरन्तरता में जो पट्टा विलेख निष्पादित हुआ है, वो भी विधि के अनुकूल निष्पादित किया गया है। अपीलार्थीगण के किसी के भी व्यक्तिगत हित अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि में प्रभावित नहीं होते है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार की जावें।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टान्तों एवं आदेश इत्यादि का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि तहसील पोकरण के ग्राम ऊजला के खसरा संख्या 39 रकबा 66.10 बीघा, खसरा संख्या 47 रकबा 12.08 बीघा, खसरा संख्या 57 रकबा 179.01 बीघा, खसरा संख्या 67 रकबा 90. 05 बीघा, खसरा संख्या 91 रकबा 63.12 बीघा कुल 411.05 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि में से ख0सं. 39 की रकबा 03 बीघा और ख0 सं0 57 की 02 बीघा भूमि कुल 05.00 बीघा भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 02 संस्था को मदरसा भवन निर्माण एवं खेल मैदान हेतु दिनांक 01.11.2007 को किया गया है।

रेस्पो0 संख्या दो संस्था को उक्त आवंटित की गई भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन गोचर भूमि में ग्राम उजला के निवासियों के द्वारा अपने मवेशियों के लिये खाद्यान्न के लिये उपयोग व उपभोग ली जाती रही है। आवंटन आदेश से गैर मुमकिन गोचर भूमि का रकबा कम हो जाने से उसका भौतिक रूप से रकबा प्रभावित हुआ है। इस प्रकार के किस्म की भूमि का आवंटन किसी अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना अति आवश्यक होता भी है तो उक्त गैर मुमकिन गोचर भूमि के रकबे में से आवंटन की गई रकबा भूमि के बराबर रकबा भूमि की क्षतिपूर्ति भूमि अन्य स्थान पर आरक्षित की जाती है तत्पश्चात ही ऐसा आवंटन किया जा सकता है, परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 2 संस्था को भूमि आवंटन किये जाने से पूर्व ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही अपीलाधीन आदेश में उक्त आवंटन भूमि की क्षतिपूर्ति की गई है जिससे यह प्रतीत होता हो कि 05.00 बीघा भूमि आवंटन होने के फलस्वरूप अन्य सरकारी भूमि गोचर हेतु आरक्षित कर दी गई हो। अपीलाधीन प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 02 संस्था को उक्त भूमि उनके निजी प्रयोजनार्थ एवं केवल मात्र अपने संस्थान के व्यक्तियों/छात्रों के उपयोग व उपभोग करने हेतु आवंटित की गई है न कि ग्राम ऊजला के ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग या जनोपयोगी प्रयोजनार्थ हेतु। इस प्रकार इस अपीलाधीन आदेश से केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 2 को ही लाभ हासिल हुआ है।

अपीलान्ट्स के द्वारा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के उक्त आदेश दिनांक 01.11.2007 से रेस्पो0 संख्या 2 को भूमि आवंटन के आदेश को चुनौती देते हुए अपील में अंकित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये भूमि आवंटन के नियमों के तहत रेस्पो0 संख्या 2 को न तो ऐसी भूमि आवंटित की जा सकती थी और न ही हक–अधिकार प्रदान किये जा सकते थे तथा

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त भूमि पर स्थाई निर्माण भी नहीं करवाया जा सकता है। रेस्पो0 संख्या 02 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर संस्था का भवन बनाया जाना तथा वहॉ खेल सम्बन्धी गतिविधियॉ संचालित की जा रही है। ऐसा आवंटन राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत है। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2004 (3) डीएनजे (राज. डी.बी.) 1245 अब्दुल रहमान बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय के विरूद्ध भी अपीलाधीन आवंटन किया जाना प्रकट किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी समय–समय पर उक्त आवंटन नियमों के परिप्रेक्ष्य में भूमि की उपलब्धता को देखते हुए एवं इस प्रकार की किस्म की भूमि में से भूमि आवंटन करना अति–आवश्यक होने पर उतनी ही क्षतिपूर्ति भूमि का आवंटन किये जाने के निर्देश प्रसारित किये जाते रहे है। इस तथ्य को जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अनदेखा किया गया है। इसके अतिरक्त रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा भी इस तथ्य को नकारा नहीं गया है।

अपीलान्ट्स/ग्राम ऊजला के ग्रामवसियों के द्वारा ग्राम ऊजला के उक्त दोनों खसरा नम्बरों सहित अन्य खसरों में हुए अतिक्रमण को हटवाने हेतु माननीय राज0 उच्च न्यायालय में डीबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 5190/2021 अनवान कमलसिंह वगैराह बनाम राज0 राज्य दायर किया जाना तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 8.4.2021 के द्वारा उक्त खसरों में अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय गठित कमेटी पीएलपीसी के समक्ष प्रतिवेदन पेश किये जाने के निर्देश दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच के द्वारा डीबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 10819/2018 अनवान जगदीश प्रसाद मीणा बनाम राज0 राज्य में दिनांक 30.01.2019 को पारित निर्णय का हवाला देते हुए उपरोक्त प्रकार की सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमणों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता वाली कमेटी को अतिक्रमण चिन्हित कर उनके सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

उक्त प्रकार की किस्म की भूमि का आवंटन किया जाना प्रतिबन्धित माना गया है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा दिनांक 29.11.2011 को परिपत्र जारी करते हुए निर्देशित किया हुआ है कि चारागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जावें। राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के अन्य परिपत्र दिनांक 19.09.2019 के अनुसार–

> ''चारागाह भूमि आवंटन के लिये प्रतिबंधित क्षेणी में आती है। यदि चारागाह भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है तो ऐसी स्थिति में चारागाह भूमि का वर्गीकरण, परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किया जाकर ही यह भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध कराई

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जा सकती है। चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन एवं इसको आवंटन के लिये उपलब्ध कराये जाने की प्रकिया राज0 काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में प्रावधित है जिसके तहत चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति अनाधिवासित सरकारी भूमि से किये जाने का प्रावधान है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण, परिवर्तन कर अन्य प्रयोजनार्थ, उपयोग/आवंटन पर इस नियम की पालना में अनाधिवासित सरकारी भूमि से चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा रही है। नियम 7 के आत्यंतिक आवश्यकता के लिये भूमि आवंटन हेतु चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की भूमि से की जाये, इसके दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी समय–समय पर ऐसी भूमियों के आवंटन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये जाते रहे है। जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 संस्था के पक्ष में ग्राम उजला के ख0सं0 39 एवं ख0सं0 57 की गैर मुमकिन गोचर भूमि में से 05.00 बीघा भूमि के किये गये आवंटन को उपरोक्त समस्त विवेचन एवं तथ्यों पर गौर करने के मध्यनजर यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 02 संस्था के पक्ष में पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 01.11.2007 को निरस्त किया जाता है। साथ ही जिला कलेक्टर, जैसलमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आवंटन आदेश के क्रम में जारी पट्टा विलेख दिनांक 05.04.2008 को निरस्त करवाने एवं ग्राम ऊजला तहसील पोकरण के ख0सं0 39 व ख0सं0 57 में क्रमशः 03 बीघा एवं 02 बीघा भूमि को राजस्व रेकर्ड में पुनः गैर मुमकिन गोचर दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 07 अप्रेल, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर